REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 9 | JUNE - 2026

लोकहित वाद के संबंध में न्याय द्रष्टिकोण

वीर महेंद्र प्रकाश सिंह
एलएलएम (चतुर्थ सेमेस्टर)

श्रीमती रूबी
(सहायक प्रोफेसर)
मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य लोकहितवाद की अवधारणा को न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना है। लोकहितवाद, जिसे अंग्रेजी में _Utilitarianism_ कहा जाता है, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित एक नैतिक सिद्धांत है। इसका मूल मंत्र है: "अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख"।

यह शोध न्याय के वितरणात्मक, प्रक्रियात्मक और सुधारात्मक पहलुओं के संदर्भ में लोकहितवाद की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करता है। शोध में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या बहुसंख्यक के हित में लिया गया निर्णय हमेशा न्यायसंगत होता है, या अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन करता है। भारतीय संविधान, निर्देशक तत्व और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इस सिद्धांत की व्यावहारिकता को परखा गया है।

मुख्य शब्द: लोकहितवाद, न्याय, बेंथम, मिल, अधिकतम सुख, वितरणात्मक न्याय, संवैधानिक नैतिकता

प्रस्तावना

न्याय मानव समाज का आधारभूत मूल्य है। प्लेटो से लेकर रॉल्स तक सभी दार्शनिकों ने न्याय को परिभाषित करने का प्रयास किया है। 18वीं-19वीं सदी में जेरेमी बेंथम ने 'उपयोगितावाद' या 'लोकहितवाद' का सिद्धांत दिया।

लोकहितवाद के अनुसार, कोई भी कार्य या नीति नैतिक रूप से उचित है यदि वह समाज के अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करे। यह सिद्धांत परिणामवादी है, यानी कार्य के परिणाम को देखकर उसके औचित्य का निर्णय होता है, न कि कार्य की प्रकृति को देखकर।

भारत में नीति निर्माण के समय अक्सर 'लोकहित' शब्द का प्रयोग होता है। भूमि अधिग्रहण, आरक्षण, आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों पर सरकारें लोकहित का तर्क देती हैं। परंतु प्रश्न यह है: क्या लोकहित और न्याय हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं?

शोध का उद्देश्य

1. लोकहितवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझना
2. न्याय के प्रमुख सिद्धांतों से इसकी तुलना करना
3. भारतीय संदर्भ में लोकहितवाद की सीमाओं और संभावनाओं का मूल्यांकन करना

साहित्य समीक्षा

पाश्चात्य चिं तन

जेरेमी बेंथम (1748-1832): An Introduction to the Principles of Morals and Legislation- में सुखवाद का मात्रात्मक सिद्धांत दिया। बेंथम के लिए सुख और दुख को मापा जा सकता है।

जॉन स्टुअर्ट मिल (1806-1873): Utilitarianism- में बेंथम के सिद्धांत को संशोधित किया। गुणात्मक सुख की बात की: "संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है"।

जॉन रॉल्स (1921-2002): A Theory of Justice- में उपयोगितावाद की आलोचना की। रॉल्स का तर्क था कि उपयोगितावाद अल्पसंख्यक के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं करता।

भारतीय चिं तन

कौटिल्य का अर्थशास्त्र: "प्रजासुखे सुखं राज्ञ" – राजा का सुख प्रजा के सुख में है। यह प्रारंभिक लोकहितवादी दृष्टिकोण है।

महात्मा गांधी: सर्वोदय का सिद्धांत – सबका उदय, अंतिम व्यक्ति का उदय। यह मिल के गुणात्मक उपयोगितावाद के निकट है।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर- बहुसंख्यकवाद के खतरों से आगाह किया। संविधान में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा पर बल।

शोध अंतराल- भारतीय न्यायिक निर्णयों में लोकहितवाद का प्रयोग कैसे हुआ है, इस पर व्यवस्थित अध्ययन की कमी है।

शोध प्रविधि

शोध का प्रकार- यह गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध है।

आंकड़ा संग्रह के स्रोत:

- **प्राथमिक स्रोत**- भारत का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, नीति आयोग की रिपोर्ट।
- **द्वितीयक स्रोत**- बेंथम, मिल, रॉल्स की मूल कृतियाँ, विधि पत्रिकाओं के लेख, पुस्तकें।

शोध विधि:

विवरणात्मक विधि- लोकहितवाद और न्याय के सिद्धांतों का वर्णन।

तुलनात्मक विधि- उपयोगितावाद बनाम अधिकार-आधारित न्याय सिद्धांत।

3. केस स्टडी विधि- Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation_, _Narmada Bachao Andolan_ जैसे केसों का विश्लेषण।

विश्लेषण का ढांचा- नीतिगत निर्णयों को तीन कसौटियों पर परखा गया –

- अधिकतम लाभ का सिद्धांत
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
- प्रक्रियात्मक न्याय का पालन

लोकहितवाद

बेंथम का सुखवाद सिद्धांत- बेंथम ने _Felicific Calculus_ दिया जिसमें 7 आधार पर सुख मापा जाता है: तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, प्रजनकता, पवित्रता, विस्तार।

मिल का संशोधन- मिल ने उच्च और निम्न सुख में अंतर किया। बौद्धिक सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ है।

नियम उपयोगितावाद vs कार्य उपयोगितावाद- कार्य उपयोगितावाद हर कार्य को अलग से परखता है। नियम उपयोगितावाद सामान्य नियम बनाता है जिससे दीर्घकाल में अधिकतम सुख मिले।

न्याय के सिद्धांत और लोकहितवाद का संबं

वितरणात्मक न्याय- रॉल्स के अनुसार, असमानता तभी न्यायसंगत है जब वह सबसे कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाए। लोकहितवाद कुल योग देखता है, वितरण नहीं। इससे "उपयोगिता राक्षस" की समस्या आती है।

प्रक्रियात्मक न्याय- लोकहितवाद परिणाम पर केंद्रित है, प्रक्रिया पर नहीं। यदि त्वरित न्याय के नाम पर निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार छीना जाए, तो वह लोकहित में होकर भी अन्याय होगा।

भारतीय संविधान- अनुच्छेद 39(b)(c) में संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित सध सके – यह लोकहितवादी सोच है। परंतु अनुच्छेद 14, 21 व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं, जो लोकहितवाद की सीमा तय करते हैं।

केस विश्लेषण

Kesavananda Bharati Case, 1973: मूल ढांचे का सिद्धांत – बहुमत भी संविधान की आत्मा नहीं बदल सकता। लोकहित की आड़ में मूल अधिकार सीमित नहीं।

Maneka Gandhi v. Union of India, 1978: प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। केवल परिणाम देखना पर्याप्त नहीं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक मूल्यांकन

लोकहितवाद की शक्ति:

1. **कोविड-19** में लॉकडाउन – कुछ की स्वतंत्रता बनाम लाखों का जीवन।

2. **भूमि अधिग्रहण कानून** – विकास परियोजनाओं के लिए।
3. **आर्थिक सुधार** – दीर्घकालिक सामूहिक लाभ।

लोकहितवाद की सीमाएं

1. **अल्पसंख्यक अधिकार**: शाहीन बाग, CAA विरोध – क्या बहुमत की इच्छा ही न्याय है?
2. **माप की समस्या**: 'सुख' को कैसे मापें? किसका सुख अधिक महत्वपूर्ण?
3. **दीर्घकालिक vs अल्पकालिक**: बांध परियोजना से विस्थापन अल्पकालिक दुख, पर दीर्घकालिक बिजली लाभ। किसे प्राथमिकता दें?

निष्कर्ष

लोकहितवाद नीति निर्माण का एक उपयोगी उपकरण है, परंतु न्याय का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। शुद्ध लोकहितवाद 'बहुसंख्यक के अत्याचार' में बदल सकता है।

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में लोकहित और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन रखा गया है। 'उचित प्रतिबंध' का सिद्धांत इसी संतुलन का उदाहरण है। न्यायालय की भूमिका 'संवैधानिक नैतिकता' को बनाए रखना है, न कि केवल 'लोक नैतिकता' या 'बहुमत की इच्छा' को।

अतः न्याय दृष्टिकोण से लोकहितवाद को रॉल्स के 'न्याय के रूप में निष्पक्षता' और अंबेडकर के 'संवैधानिक लोकतंत्र' के साथ पढ़ना आवश्यक है। लोकहित साध्य है, परंतु वह साधन को न्यायसंगत नहीं बना सकता यदि साधन मूल अधिकारों का हनन करे।

सुझाव

1. नीति निर्माण से पूर्व 'सामाजिक प्रभाव आकलन' अनिवार्य हो।
2. लोकहित के नाम पर होने वाले हर निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो।
3. 'न्यूनतम हानि सिद्धांत' अपनाया जाए – अधिकतम सुख के साथ-साथ किसी वर्ग को असहनीय हानि न हो।
4. निर्णय प्रक्रिया में प्रभावित पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Bentham, J. _An Introduction to the Principles of Morals and Legislation_, 1789.
- Mill, J.S. _Utilitarianism_, 1863.
- Rawls, J. _A Theory of Justice_, 1971.
- भारत का संविधान, 1950.
- बसु, डी.डी. _भारत का संविधान: एक परिचय_, लेक्सिस नेक्सिस, 2022.
- Austin, G. _The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation_, OUP, 1999.
- Kesavananda Bharati v. State of Kerala_, AIR 1973 SC 1461.
- Maneka Gandhi v. Union of India_, AIR 1978 SC 597